


प्रार्थना पत्र 251 क का स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

### आदेश

प्रार्थी कुम्भाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम दिनांक 14.09.2021 का खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी शीशराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पोसाना पटवार हल्का पोसाना की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 154, 163 मे आवागमन हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त फर्द मौका मय नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी० एल० सी० दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास जमा करवाए एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी०एल०सी० दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।



(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (सुबुन)

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (सुबुन)